प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा मे

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झांसी ।

विषयः- श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय के निरंतर अर्जित अवकाश पर रहने के कारण किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया

सादर निवेदन करना है कि मेरे न्यायालय में कार्यरत श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय दिनांक- 20. 10. 2021 से निरंतर अर्जित अवकाश पर हैं और दिनांक- 30. 10. 2021 से 13. 11. 2021 तक अर्जित अवकाश पर रहने के बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और उक्त कर्मचारी के निरंतर अवकाश पर ~~गैर हाजिर~~ रहने के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः श्रीमान जी निवेदन है कि उक्त कर्मचारी की कार्यभार ग्रहण करने तक किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त करने की कृपा करें।

भवदीय

30.10.2021

दिनांक- 30. 10. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रेषक	विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में	श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झांसी ।

विषयः- श्री मोहित शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी (चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) के संदर्भ सं०- 272/ DJ दिनांकित- 29. 10. 2021 के अनुपालन में दिनांक- 30. 10. 2021 को बजट अनुभाग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जाने के कारण किसी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया

सादर निवेदन करना है कि संदर्भ सं०- 272/ DJ दिनांकित- 29. 10. 2021 के अनुपालन में मेरे न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा बजट अनुभाग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गये हुए हैं।

अतः किसी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आज दिनांक- 30. 10. 2021 हेतु कार्य करने के बावत नियुक्त करने की कृपा करें।

भवदीय

30.10.2021

दिनांक- 30. 10. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

कार्यालय : जनपद न्यायाधीश, झांसी।

सन्दर्भ सं०-272/डी०जे०　　　　　　　　　　दिनांकः 29.10.2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्र सं०-4024/ Admin. (B-V) Section Dated 29.10.2021 के अनुपालन में बजट से संबंधित प्रपत्र दिनांक 30.10.2021 को बजट अनुभाग माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त करने हेतु निर्देशितं किया गया है।

अतः एक विशेषवाहक को माननीय उच्च न्यायालय भिजवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

उपरोक्त के अनुपालन में **श्री मोहित शर्मा,** चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय, झांसी को विशेषवाहक के रूप में प्रतिनियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि वे आज दिनांक 29.10.2021 को कार्यालय समयोपरान्त, जनपद झांसी से डाक आदि लेकर जायें एवं दिनांक 30.10.2021 को बजट अनुभाग माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से उक्त प्रपत्र प्राप्त कर मुख्यालय पर वापस आयें।

अतः एतदद्वारा सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों एवं अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों को तदनुसार अवगत कराया जाता है कि यदि उनके यहां से कोई डाक अथवा पत्रावली आदि माननीय उच्च न्यायालय भिजवायी जानी है तो वे दिनांक 29.10.2021 को 04:00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध करा दें, ताकि विशेषवाहक को डाक हस्तगत करा दी जाये। **श्री मोहित शर्मा** के प्रमाणित हस्ताक्षर अधोलिखित है

जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

प्रमाणित हस्ताक्षर

Mohit

(श्री मोहित शर्मा)

जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

प्रतिलिपि A.D.J. / F.T.C. (14 F.C.) Jhansi
सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।

1.

07-1-22
Pvn

प्रेषक, (विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),, झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
झाँसी।

विषय : आशुलिपिक का समय नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया

अवगत कराना है कि आपके व्यवस्था आदेश सन्दर्भ सं० 278/ D. J. दिनाँक 02. 11. 2021 के अनुपालन में मेरे न्यायालय में नियुक्त आशुलिपिक श्री मोहित कुमार का स्थानान्तरण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 02 झांसी में हो गया है और आपके आदेश के अनुपालन में श्री धनन्जय कुमार पाल आशुलिपिक के रूप में मात्र आधा दिन मेरे न्यायालय में कार्य करने हेतु नियुक्त हैं। मेरे न्यायालय में पर्याप्त कार्य है और उक्त आशुलिपिक आधा दिन कार्य करने हेतु समर्थ व सक्षम नहीं है। उक्त कर्मचारी न्यायालय जे०एस०एस०सी० के न्यायालय में कार्य करने हेतु जाने के बाद इस न्यायालय में कार्य करने हेतु बुलाने जाने के बाद भी नहीं आ पाता है, उसके द्वारा यह बताया जाता है कि पीठासीन अधिकारी का कार्य शेष है। उक्त कर्मचारी के समय से न आने के कारण मेरे न्यायालय का कार्य दिन- प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है। इस सम्बन्ध में उचित आदेश हेतु मेरे द्वारा श्रीमान जी को पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर श्रीमान जी ने अपने विश्राम कक्ष में दोनों पीठासीन अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। आपके आदेश के अनुपालन में दोनों पीठासीन अधिकारी श्रीमान जी से वार्ता के लिए उसी दिन श्रीमान जी के विश्राम कक्ष में गये लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाला जा सका।

आज भी उक्त आशुलिपिक को अपरान्ह 02:00 बजे से कई बार बुलवाया गया लेकिन उक्त आशुलिपिक अपरान्ह 02:30 बजे तक नहीं आया। मेरे न्यायालय का कार्य प्रभावित हो रहा है।

आपसे निवेदन है कि मेरे न्यायालय में उक्त आशुलिपिक के लंच से पूर्व व लंच उपरान्त कार्य करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त कर्मचारी के स्थान पर किसी योग्य व सक्षम आशुलिपिक को नियुक्त करने की कृपा करें।

भवदीय
07.01.2022
(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनाँक: 07. 01. 2022

(1) Call comments from the Court whose steno typist's services are been shared
(2) The official concerned to explain why he was not available when called upon by the PO ADJ/FTC I
7/1/22

प्रतिलिपि A.D.J. / F.T.C. (14 F.C.)
सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।
आज्ञा से
07.1.22
07/01/22

(1)

…क (विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झाँसी।

विषय : आशुलिपिक के सम्बन्ध में।

महोदया

अवगत कराना है कि आपके व्यवस्था आदेश के अनुसार मेरे न्यायालय में श्री धनन्जय पाल आशुलिपिक के रूप में आधा दिन कार्य करने हेतु नियुक्त है। उक्त कर्मचारी के बावत श्रीमान जी को पूर्व में मेरे द्वारा अवगत कराया जा चुका है। अब पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि सत्र न्यायालय में कार्य करने हेतु उक्त आशुलिपिक किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है, न तो वह सही से डिक्टेशन ले पाता है और न ही सीधे लेप- टाप/ डेस्कटाप पर टाईप कर पाने में सक्षम है। उक्त आशुलिपिक लेप- टाप/ डेस्कटाप पर सीधे टाईप कराने में ही बहुत अधिक गल्ती कर रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त आशुलिपिक का कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

14.01.2022

दिनाँकः14. 01. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

संलग्नकः

उक्त कर्मचारी द्वारा आधे दिन में किये गये कार्य की छायाप्रति।

नोटः दि० 14. 01. 2022 को कार्यालय की डाक वही में बन्द लिफाफे में रखवाकर व चढ़वाकर S.No. (1) **भिजवाया गया।**

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(F. T. C.), झांसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
उपस्थित—श्री विमल प्रकाश आर्य (एच०जे०एस०) JO Code- UP6488
सत्र परीक्षण संख्या- 240/ 2018
CNR No- UPJS01- - - - - - - 20-

राज्य **बनाम** कमलेश।

1- कमलेश पुत्र स्व० श्री किशोरी लाल निवासी- मौहल्ला गंज रानीपुर थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी।

अन्तर्गत धारा-323,504,304 भा०द०सं०
मुकदमा अपराध संख्या-292 सन 2018
थाना-मऊरानीपुर जिला झाँसी।

निर्णय

1. पुलिस थाना मऊरानीपुर द्वारा अभियुक्त कमलेश पुत्र स्व० किशोरी लाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०- 292 सन 2018 अन्तर्गत धारा- 323, 504 व 304 भा०द०सं० में आरोप पत्र सं०- 01/ 2018 दिनांकित - 10. 11. 2018 को विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी ने अपने पत्र दिनांकित 15. 11. 2018 के द्वारा उक्त पत्रावली को सत्र न्यायालय सुपुर्द किये जाने का आदेश किया तत्पश्चात उक्त पत्रावली दिनांक 23. 11. 2018 को श्रीमान सत्र न्यायाधीश झांसी के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर हुआ और श्रीमान सत्र न्यायाधीश झांसी के आदेश दिनांकित 13. 03. 2019 के आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण द्वारा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 7 झांसी के न्यायालय में प्राप्त हुई है, जो दिनांक 19. 03. 2019, 02. 04. 2019 को उक्त न्यायालय में पेश हुई। आदेश पत्र दिनांकित 20. 04. 2019 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त पत्रावली दिनांक 20. 04. 2019 से अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 4 में दिनांक 28. 02. 2020 तक पेश होती रही तत्पश्चात श्रीमान सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 06. 03. 2020 द्वारा उक्त पत्रावली इस न्यायालय को अन्तरण द्वारा दिनांक 13. 03. 2020 को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 12. 07. 2018 को समय 18:53 बजे वादी मुकदमा पवन सूत्रकार द्वारा एक तहरीर (कागज सं०- 3A) संबंधित थाने पर इस आशय की दी कि " प्रार्थी पवन सूत्रकार पुत्र श्री चिन्तामन सूत्रकार निवासी पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) का रहने वाला है। कल दिनांक 11. 07. 2018 को उसके मामा भागीरथ पुत्र रामदीन

सूत्रकार निवासी मौहल्ला गंज रानीपुर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे थे कि गाँव के ही कमलेश पुत्र नामालूम व हल्के पुत्र नामालूम व श्रीमती नन्हीं बाई आये तथा गाली गलौच करने लगे। मामा ने गाली देने से मना किया तो उक्त लोगों ने मिलकर लाठी डन्डों से मारना पीटना शुरू कर दिया जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयी हैं। उक्त घटना दिनांक 11. 07. 2018 समय 05:30 बजे सायं की है और उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया है।"

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 12. 07. 2018 को एन०सी०आर० नं०- 25/ 2018 अन्तर्गत धारा 323, 504 I. P. C. समय 18:53 बजे बनाम कमलेश, हल्के व श्रीमती नन्हीं बाई पंजीकृत किया गया और इसका उल्लेख जी०डी० नं०- 39 समय 18:53 बजे पर किया गया है।

केस डायरी के पर्चा नं०- 1 दिनांकित 16. 08. 2018 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस केस डायरी में विवेचक ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि राम वकील सिंह उप निरीक्षक मय हमराही कां० 1184 राम शंकर वर्मा मय जीप सरकारी नं०- UP93AG0480 मय कां० 1825 सुमित कुमार के रवानाशुदा रोजनामचा आम तारीखी इनरोजा चौकी रानीपुर से उपस्थित थाना आकर एन०सी०आर० नं०- 80/ 2018 अन्तर्गत धारा 323, 504 I. P. C. से संबंधित मजरूव भागीरथ कोरी को स्व० रामदीन उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी मौहल्ला गंज रानीपुर थाना मऊरानीपुर, जिला झांसी का P. M. No. 126/ 2018 दिनांकित 19. 07. 2018 का दाखिल किया। चूंकि उपरोक्त संबंध में थाना हाजा पर एन०सी०आर०नं०- 08/ 2018 दिनांक 12. 07. 2018 को पवन सूत्रकार द्वारा अभियुक्तगण कमलेश, हल्के व नन्हींबाई अन्तर्गत धारा 323, 504 I. P. C. पंजीकृत है। मजरूव भागीरथ की मृत्यु चोटों के कारण आना अंकित है। अतः जाँच पंचायतनामा के आधार पर एन०सी०आर० नं०- 80/ 2018 अन्तर्गत धारा 323, 504 I. P. C. से मुकदमा अपराध सं०- 292/ 2018 अन्तर्गत धारा 323, 504 व 304 I. P. C. दिनांक - 12. 07. 2018 को समय 17:30 बजे दिनांक सूचना 12. 07. 2018 समय 18:53 बजे बनाम कमलेश, हल्के व नन्हींबाई के विरूद्ध व तफ्तीसी उ० नि० राम वकील सिंह के रजिस्ट्रान संबंधित में पंजीकृत किया गया। एफ०आई०आर० की कम्प्यूटराईज्ड प्रति वादी को बुलाकर दी जायेगी। तकमीला संबंधित रजिस्टर में किया व कराया जा रहा है। अभियोग की सूचना जरिये आर०टी०सेट अफ्सरान बाला को दी गयी। नकल चिक नकल रपट व नकल एन०सी०आर० वास्ते विवेचना विवेचक को दी गयी। मूल तहरीर संलग्न एफ०आई०आर० की जायेगी।

पत्रावली पर संलग्न कागज सं०- 4A/ 1 लगायत 4A/ 2 चिक एफ०आई०आर० सं०- 292/ 2018 दिनाकित 16. 08. 2018 समय 14:25 बजे अन्तर्गत धारा 323, 504 व 304 I. P. C. बनाम कमलेश, हल्के व नन्हीबाई के विरूद्ध पंजीकृत किया गया और इसका उल्लेख पत्रावली पर संलग्न कागज सं०- 8A/ 1 रोजनामचा आम नं०- 33 दिनांकित 16. 08. 2018 पर अंकित है।

पत्रावली पर संलग्न कागज सं०- 15A/ 1 लगायत 15A/ 3 पंचनामा मृतक भागीरथ कोरी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह पंचनामा ओ०पी० सिंह (उ० नि०) चौकी प्रभारी रानीपुर द्वारा मय हमराह कां० 1538 रामदत्त व मय सरकारी जीप मय चालक सुमित अन्य दीगर प्रपत्र व मूल मेमों व नकल रपट लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु व होमगार्ड 1476 शिवदयाल की मोर्चरी पर पहुँचा और पंचायतनामा के नियमो को समझा बुझाकर पंच नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही

की गयी, जिसमें ओ०पी० सिंह उ०नि० यह अंकित किया कि "मृतक भागीरथ के शरीर को उलट-पुलट के जाहिरा चोटों का निरीक्षण किया गया तो सिर के पीछे बाँयी ओर चोट घाव का निशान है तथा शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। मुँह के अन्दर सफेद बल्गम की तरह है एवं हाथ दाहिने पर एक बीगो लगी व पेशाब नली में कैथेरल लगा है।"

ओ०पी० सिंह (उ० नि०) ने यह भी उल्लिखित किया कि राय पंचान ने यह अंकित किया कि "हम पंचों की राय में मृतक भागीरथ पुत्र स्व० रामदीन की मृत्यु बीमारी के कारण होना प्रतीत होती है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने हेतु शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाये।"

पत्रावली पर संलग्न मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं०- 16A/ 2 लगायत 16A/ 14 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मृतक भागीरथ के शव का दिनांक 19. 07. 2018 को समय 2:45 बजे से 3:45 तक पोस्टमार्टम किया।

(2)

प्रेषक (विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा मे श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झाँसी।

विषय : प्रशासनिक अधिकारी व मनमोहन मिश्रा सहायक नाजिर द्वारा पत्र आदि की पावती न देने व अपने पास पत्र को रखे रहने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा श्रीमान जी को पूर्व में अपने पत्रों द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि प्रशासनिक अधिकारी, मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों की पावती समय से नहीं देते हैं और अपने पास उपेक्षापूर्वक तरीके से रखे रहते हैं।

ठीक इसी प्रकार श्री मनमोहन मिश्रा सहायक नाजिर ने भी मेरे पत्र दिनाँक 12. 01. 2022, जो प्रभारी अधिकारी नजारत को सम्बोधित था, को अपने पास उक्त तिथि पर प्रातः 11:45 से 15:45 तक अपनी अभिरक्षा में रखे रखा और कोई पावती नहीं दी और तामीली कराये जाने से इन्कार किया है। इस कारण इस पत्र को पुनः प्रेषित किया। उक्त कर्मचारी से, मेरे द्वारा इस बावत स्पष्टीकरण तलब किया गया, जिसका उसके द्वारा नियत तिथि तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

उक्त दोनों कर्मचारीगण जब मेरे पत्र को प्राप्त करने और सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में इस प्रकार की हीला- हवाली कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस न्यायालय के अन्य कर्मचारियों के साथ उनका कार्य व व्यवहार तो अत्यन्त ही अशोभनीय होगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

दिनाँकः 14. 01. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

संलग्नकः
प्रभारी अधिकारी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति।
मनमोहन मिश्रा को प्रेषित नोटिस की छायाप्रति।
(कुल दो)।

नोटः दि० 14. 01. 2022 को कार्यालय की डाक वही में बन्द लिफाफे में रखवाकर व चढ़वाकर भिजवाया गया।

क

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),, झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में
श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत
जनपद न्यायालय, झाँसी।

विषय : अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला पर नोटिस की तामीली कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

अवगत कराना है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला पर मेरे द्वारा नोटिस तामीली हेतु नजारत प्रेषित किया था जो नजारत द्वारा सही प्रकार से तामीली नहीं कराया जा रहा है। दिनाँक 20. 01. 2022 तक उक्त नोटिस की तामीली कराया जाना है।

अतः इस पत्र के साथ बन्द लिफाफा प्रेषित किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि जब तक अभियुक्त पर उक्त बन्द लिफाफा तामील न हो जाये, दिन- प्रति- दिन नजारत द्वारा कराया जाने की कृपा करें।

भवदीय

12.01.2022

दिनाँकः12. 01. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

नोटः श्री मनमोहन मिश्रा सहायक नाजिर ने उक्त पत्र को अपने पास प्रातः 11:45 से 15:45 तक अपनी अभिरक्षा में रखे रखा और कोई पावती नहीं दी और तामीली कराये जाने से इन्कार किया है। इस कारण इस पत्र को पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

12.01.2022
(16:15)

श्रीमान जी
तामीली कराये जाने हेतु
[illegible] बन्द लिफाफा प्राप्त
किया
12-1-22
4.25 pm

dc

विश्राम कक्षः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनाँकः 12. 01. 2022

नोटिस

बनाम

श्री मनमोहन मिश्रा

सहायक नाजिर

जनपद न्यायालय झाँसी ।

विषय :प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय झाँसी को सम्बोधित व प्रेषित पत्र आज दिनाँक 12. 01. 2022 को समय प्रातः लगभग 11:30 से 15:45 तक नाजायज तरीके से अपने पास रखने व पावती न देने के सम्बन्ध में ।

आपको अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त पत्र मेरे द्वारा अपने अर्दली श्री मोहित शर्मा से नजारत में आज दिनाँक 12. 01. 2022 को समय प्रातः लगभग 11:30 बजे भिजवाया था, जिसकी आपने समय लगभग 15:45 तक कोई पावती नहीं दी। आपके द्वारा यह भी कहा गया कि आपके द्वारा कोई तामीली नहीं करायी जायेगी। आपके उक्त कृत्य से यह ज्ञात होता है कि आप उपेक्षा पूर्वक कार्य करते हैं, जब एक अधिकारी का पत्र प्राप्त करने में आप इस प्रकार की घोर उपेक्षा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सामान्य व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार भी नहीं करते होंगे।

अतः आप दिनाँक 13. 01. 2022 को प्रातः 11:00 बजे तक उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आपने उक्त पत्र की पावती दिनाँक 12. 01. 2022 को प्रातः लगभग 11:30 आपको दिये जाने के समय ही क्यों नहीं दी और अपने पास उक्त पत्र को किस आधार पर समय लगभग 15:45 तक रखे रहे। आपके उक्त उपेक्षापूर्ण कृत्य के बावत आपके विरूद्व कार्यवाही किये जाने के बावत क्यों न श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को अवगत कराया जाए।

दिनाँकः 12.01. 2022

12.01.2022

12.01.2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

12-1-22